मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016

क्रमांक 2096 स्था/सीएमहेल्प/प्रनिबो.2017 भोपाल, दिनांक 09 AUG 2017

प्रति,

1. क्षेत्रीय अधिकारी एवं पदाविहीत प्राधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/धार/सिंगरौली/गुना/ग्वालियर/पीथमपुर/एसईजेड पीथमपुर सागर/सतना/रीवा/कटनी/शहडोल/छिन्दवाडा/जबलपुर/देवास

विषय :– म.प्र.शासन की लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड की सेवाओं में प्राप्त आवेदनों के समय सीमा में निपटारे बावत्।

सन्दर्भः– म.प्र.शासन के लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20/7/2017

विषयान्तर्गत मध्य प्रदेश शासन के लोक सेवा प्रबंधन विभाग, द्वारा दिनांक 20/7/2017 को जारी परिपत्र का कृपया अवलोकन हो । प्रति संलग्न है ।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा दिनांक 28/2/2017 को जारी अधिसूचना अनुसार म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत सम्मति/प्राधिकार संबंधी सेवाओं को कमांक 17.3, 17.4, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16. 17.17. 17. 18, 17.19 एवं 17.20 पर शामिल किया गया है । उक्त आवेदनों के निराकरण हेतु ऑन लाईन विभागीय पोर्टल पर आवेदन प्राप्ति से लेकर निपटारे तक की प्रकिया हेतु 45 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है ।

कृपया लोक सेवा अधिनियम 2010 के प्रावधान अनुसार बोर्ड की ओर से उपरोक्त सेवाओं हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण निधारित 45 दिवस की अवधि में करने का कष्ट करें । उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध लोक सेवा गारन्टी अधिनियम की धारा 07 के अन्तर्गत वर्णित शास्ति अधिरोपित की जायेगी ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव,

प्रतिलिपिः–

1 स्टॉफ ऑफीसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल,
2 आर्डर बुक, आईटी शाखा म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल

8929

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

11653
3/8/17

कमाक 1426/1978/2017/18–6 भोपाल,दिनांक 31 /07/17

प्रति,

1. आयुक्त
म0प्र0गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल
भोपाल ।

2. आयुक्त सह–संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
भोपाल ।

3 कार्यपालन संचालक
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय
संगठन भोपाल ।

4. सदस्य सचिव
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल ,।

5 अधीक्षण यंत्री
राजधानी परियोजना प्रशासन
भोपाल ।

6. कार्यपालन संचालक
राज्य नगर नियोजन संस्थान
भोपाल ।

विषयः लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं ए ऑनलाइन सेवाओं विषयक । ।

—

उपरोक्त विषय के संबंध में राज्य लोक सेवा अभिकरण से प्राप्त पत्र क्रमांक 551/रालोसेअभि/2017 दिनांक 20.7.2017 एवं सहपत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

AO

नस्ती क्रमांक________/प्रवि. एवं पवि./2016-17

दिनांक 2

राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. (SAPS-MP)

(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)

State Agency for Public Service, M.P.

(A Regd. Agency of Govt. of M.P. Under Deptt. of Public Service Management).

क्रमांक-551 /रालोसेअभि/2017 भोपाल, दिनांक 20/07/2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
श्रम, नगरीय विकास एवं आवास, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
सामाजिक न्याय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, स्कूल शिक्षा
परिवहन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उधम,
योजना आर्थिक एवं संखिकीय विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय।

विषय:- लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं एवं ऑनलाइन सेवाओं विषयक।

---oo--

उपरोक्त विषयान्तार्गत लेख है कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 का प्रभावी क्रियान्वयन मान. मुख्यमंत्री महोदय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अधिनियम के अंतर्गत अब तक 302 सेवाएँ अधिसूचित की जा चुकी हैं एवं 70 नवीन सेवाओं को अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। वर्तमान में अधिसूचित 302 सेवाओं में से 196 सेवाएँ ऑनलाइन हैं, जो की एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट, एम् पी ऑनलाइन एवं अन्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रदाय की जा रही हैं। (सूची संलग्न-अ)

लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को समय-सीमा में निराकरण करने का प्रावधान है। समय-सीमा बाह्य निराकृत अथवा लंबित रहने की स्थिति में अधिनियम की धारा-07 के तहत दण्ड (शास्ति) का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पोर्टल www.mpedistrict.gov.in पर ऑनलाइन सेवा प्रदाय प्रक्रिया में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अधिनियम एवं नियमों का पालन किया जा रहा है, परन्तु यह बात संज्ञान में आयी है कि अन्य विभागीय पोर्टल पर लोक सेवा गारंटी की अधिसूचित सेवा प्रदाय प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित सॉफ्टवेर में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस कारण अधिनियम के अंतर्गत विनिर्मित नियमों के तहत जन सामान्य अपीलीय प्रावधान से वंचित हो रहा है। साथ ही इन सेवाओं की मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रही है।

राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. (SAPS-MP)

(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)

State Agency for Public Service, M.P.

(A Regd. Agency of Govt. of M.P. Under Deptt. of Public Service Management)

अतः अनुरोध है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अधिनियम एवं नियमों की महत्ता एवं प्राथमिकता को द्रष्टिगत रखते हुए कृपया विभागीय आधिकारीयों को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें कि विभागीय पोर्टल से दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं/ सॉफ्टवेयर में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का पालन सुनिश्चित हो । इस सबंध में समन्वय हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग की जीपीआर टीम (श्री अंकित श्रीवास्तव, मोबाइल – 9425677874 एवं श्री विवेक मांझी- 9425011874) से संपर्क किया जाये है ।

(हरिरंजन राव)
सचिव, लोसेप्र विभाग एवं
महानिदेशक, राज्य लोक सेवा अभिकरण

क्रमांक/रा.लो.से.अ./2017/552 भोपाल दिनांक 20/7/2017

1. विभागाध्यक्ष एवं नोडल अधिकारी (लो.से.गा.) समस्त सबंधित विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. श्री कमलेश जोशी, तकनीकी निदेशक (एन.आई.सी.) मंत्रालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. विभागीय लोक सेवा प्रबंधक समस्त सबंधित विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. संचालक, एम् पी ऑनलाइन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

Nand Kumaram

(नंद कुमारम)
कार्यपालन संचालक
राज्य लोक सेवा अभिकरण

कार्यालय : सुशासन भवन, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान परिसर,
द्वितीय तल, अरेरा हिल्स रोड, टी.टी. नगर, भोपाल-462003
दूरभाष : 0755-2775227, 2770915, 2770926, e-mail : loksevamp@gmail.com

		15.16- लायसेंस के पते में परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	7	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
136		15.17- वाहन पंजीयन का नवीनीकरण	15	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
137	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	16.2- अद्यतन बी.पी.एल. सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराना (ग्रामीण क्षेत्र)	7	ऑनलाइन	ई-डिस्ट्रिक्ट
138		16.3 (अ) नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों जहां तकनीकी रूप से साध्य हो, वहां नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना। (ब) नल जल योजना के तहत मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदाय।	15 15	ऑनलाइन	ई-डिस्ट्रिक्ट
139		16.4- ग्रामीण स्वसहायता समूहों की ग्रेडिंग करना।	30	ऑनलाइन	ई-डिस्ट्रिक्ट
140		16.5- ग्रामीण क्षेत्रों में कोलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण	60	ऑफलाइन	
141		16.6- ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनाईजर लायसेंस का नवीनीकरण	60	ऑफलाइन	
142		16.7- ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलोनी विकास के लिए अनुज्ञा	60	ऑफलाइन	
143		16.8- ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र	45	ऑफलाइन	
144	नगरीय आवास एवं पर्यावरण	17.1- अंगीकृत विकास योजनाओं में भूमि उपयोग की जानकारी	7	ऑफलाइन	
145		17.2- अंगीकृत विकास योजनाओं में रोड की प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी	7	ऑफलाइन	
146		17.3- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मलित।	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
147		17.4- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मलित।	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
148		17.5- प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम मे किसी निज भूमि के सम्मलित होने की जानकारी।	20	ऑफलाइन	
149		17.6- प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम मे सम्मलित भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा विकास करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनापति / आपति प्रदाय करना।	20	ऑफलाइन	
150		17.7- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त व्रहद/माध्यम श्रेणी उधोगों को सम्मति.	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
151		17.8- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त व्रहद/माध्यम श्रेणी उधोगों को सम्मति.	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
152		17.9- अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011 के नियम-9 में लघु श्रेणी उद्योगों के विनिर्माणकर्ता और पुन: चक्रणकर्ता का पंजीकरण	45	ऑफलाइन	विभागीय पोर्टल
153		17.10- अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम 2011 के नियम-9 में व्रहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों के विनिर्माणकर्ता और पुन: चक्रणकर्ता का पंजीकरण	45	ऑफलाइन	विभागीय पोर्टल
154		17.11- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डआर गिट्टी एवं रेत खदान को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत सम्मतियम ति (17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्ठो5 की रिसाईकलिं ग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर)	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
155		17.12- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डआर गिट्टी एवं रेत खदान को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत सम । ियमति (17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्ठों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर।	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
156		17.13- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डीर गिट्टी एवं रेत खदान को वायु परिसंकटमय अपशिष्ठ नियम 2016 के नियम के अन्तिर्गत प्राधिकार (17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीनकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्ठों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर)	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल

	17.14- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड लागत से अधिक वृहद /मध्यम उद्योगों, 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के तहत सम्मयति	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
	17.15- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड लागत से अधिक वृहद /मध्यम उद्योगों, 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्सि की सभी खदानों को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत सम्म(ति	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
	17.16- लाल/नारंगी /हरी श्रेणी के 10 करोड लागत से अधिक वृहद /मध्यम उद्योगों, 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्सि की सभी खदानों को परिसंकटमय अपशिष्ठन नियम 2016 के अन्तगर्गत प्राधिकार	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
	17.17- 200 बिस्तीर या उससे अधिक क्षमता के चिकित्सा संस्था न तथा चिकित्सतकीय अपशिष्ठ के निपटान व्यिवस्थाा के संचालकों को जीव चिकित्सा अपशिष्ठ नियम 2016 के अन्तर्तगत प्राधिकार	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
	17.18- 200 बिस्तनर से कम क्षमता के चिकित्सा संस्थारन पैथोलॉजी, ब्लगड बैंक, पशु चिकित्सालय क्लीमनिक एवं अन्यत चिकित्साक संस्थानों को जीव चिकित्सा अपशिष्ठस नियम 2016 के अन्तर्तगत प्राधिकार एवं नवीनीकरण	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
	17.19- नगरीय ठोस अपशिष्ठा नियम 2016 के अन्तोर्गत नगर पालिक निगम एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठर के अपवहन व्यीवस्था के संचालकों को प्राधिकार	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
	17.20- नगरीय ठोस अपशिष्ठा नियम 2016 के अन्तोर्गत नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायत को प्राधिकार एवं नवीनीकरण	45	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय	18.1- जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र	45	ऑनलाइन	ई-डिस्ट्रिक्ट
	18.2- मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र	शहरी क्षेत्र- 07 ग्रामीण क्षेत्र- 07	ऑनलाइन	ई-डिस्ट्रिक्ट
	18.3- जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति	15	ऑनलाइन	ई-डिस्ट्रिक्ट
	18.4- मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति	15	ऑनलाइन	ई-डिस्ट्रिक्ट
	18.5- जन्म प्रमाण पत्र	15	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
	18.6- मृत्यु प्रमाण पत्र	15	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
	18.7- विवाह पंजीयन	30	ऑनलाइन	ई-डिस्ट्रिक्ट
वित्त विभाग	19.1 पेंशनर द्वारा निर्धारित पेंशन आवेदन पपत्र भरकर प्रस्तुत करने की स्थिति में पेंशन/ परिवार पेंशन प्रकरण संभागीय पेंशन/ जिला पेंशन कार्यालय भेजना।	30	ऑफलाइन	
	19.2- पेंशन/ परिवार पेंशन प्रकरण में वाग द्वारा आपत्तियों के निराकरण करने पर पेंशन/ परिवार पेंशन भुगतान आदेश जारी करना।	30	ऑफलाइन	
	19.3- पेंशन/ परिवार पेंशन भुगतान आदेश कोषालय अधिकारी को प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/ परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान।	30	ऑफलाइन	
वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	20.1- गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	15	ऑफलाइन	
	20.2- परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति	15	ऑफलाइन	
	20.3- टर्मलोन पर ब्याज अनुदान स्वीकृति एवं वितरण (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों हेतु)	15	ऑफलाइन	
	20.4- रोजगार कार्यालय में पंजीयन	1	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
	20.5- रोजगार कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण	1	ऑनलाइन	विभागीय पोर्टल
	20.6- माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इन्टरप्राईजेज डवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत मेमोरेण्डम जमा करने पर अभिस्वीकृति प्रदान करना।	1	ऑफलाइन	
	20.7- चिन्हित गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।	3	ऑफलाइन	
उच्च शिक्षा	21.1- नामांकन/ माईग्रेशन प्रमाण पत्र प्रदान करना	3	ऑनलाइन	एम पी ऑनलाइन
	21.2- प्रोवीजनल उपाधि/ डुप्लीकेट अंकसूची प्रदान करना।	2	ऑनलाइन	एम पी ऑनलाइन
	21.3- अंकसूची में सुधार/ नाम/ उपनाम (सरनेम) सुधार करना।	2	ऑनलाइन	एम पी ऑनलाइन
	21.4- शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गये समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना।	15	ऑफलाइन	
	21.5- शोध प्रबंध (थीसिस) प्रस्तुति के पश्चात पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना।	180	ऑफलाइन	